जयपुर

सीमा राय Vs राज. सरकार

क्र.	दिनांक आदेश	आदेश विस्तृत रूप से
		पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 24/7/23 को पेश हो।
	24/7/23	अ. प्र. द. वकील पक्षकार पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र 20/7/23 को पेश
	20/7/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी तथा वकील वादी ने प्रतिवादी को नोटिस जारी होने हेतु समय निर्धारित करने बाबत् प्रार्थना किया। पैरोकार प्रार्थी तथा वकील वादी व पैरोकार प्रार्थी को सुना गया तथा पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया, पत्रावली के पश्चात कार्यवाही पैरोकार प्रार्थी का अपराध मामले का अवलोकन करने व बयान का अवलोकन करने पर वादी का वाद बाबत् प्रोडक्शन किसी कुटुम्बी को स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद बाबत् प्रोडक्शन किसी कुटुम्बी को स्वीकार किया जाता है परन्तु विपक्षी प्रतिवादी को 10 दिन में नोटिस जारी किया जाकर अग्रिम कार्यवाही किया जावे। पत्रावली को नियमानुसार रखकर पेश हो। पक्षकार को सूचना दी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़